एसेक्स काउंटी काउंसिल

दो, तीन या चार वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा पात्रता

अभिभावकों के लिए मार्गदर्शिका

संशोधित

Essex County Council

विषय-सूची

1. परिचय 3

2. सही चाइल्डकेयर का चयन 3

3. योग्यता 4

4. FEEE स्थानों की वित्तीय सहायता 6

5. ध्यान देने योग्य बिंदु 7

1. परिचय

बेहतर चाइल्डकेयर की तलाश करना अभिभावकों के लिए एक कठिन कार्य साबित हो सकता है। किसी चाइल्डकेयर में जाने के दौरान आपको कई बातों पर ध्यान देना चाहिए और कई प्रश्न पूछने चाहिए।

इस मार्गदर्शिका में आपको ध्यान देने योग्य बिंदु मिलेंगे ताकि आप यह समझ सकें कि अपने बच्चे के लिए नि:शुल्क शिक्षा सुविधा किस तरह प्राप्त की जाए और किसी नर्सरी, प्रीस्कूल या चाइल्डमाइंडर के साथ साइन अप करने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होनी चाहिए। हम इस मार्गदर्शिका के शेष भागों में नर्सरी, प्रीस्कूल या चाइल्डमाइंडर के लिए 'चाइल्डकेयर प्रदाता' शब्द का उपयोग करेंगे।

नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा पात्रता क्या है?:

- यह यूके सरकार द्वारा सभी योग्य बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है, ताकि बच्चों को बेहतर नर्सरी शिक्षा मिल सके और उनके जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत हो सके।
- माता-पिता की आय सीमित होने पर दो साल के बच्चों को नि:शुल्क पात्रता घंटे (सुविधा) प्राप्त हो सकते हैं। इन बच्चों को वर्ष पर्यंत 570 तक नि:शुल्क पात्रता घंटे प्राप्त होंगे, सामान्य तौर पर उन्हें 38 हफ्तों तक प्रति सप्ताह 15 घंटे प्राप्त होंगे। 38 सप्ताहों को तीन अवधियों में विभाजित किया गया है, जो स्कूल की अवधियों के समान ही हैं।
- तीन और चार वर्ष के सभी बच्चे तीन वर्ष की आयु होने से लेकर स्कूल जाने तक स्कूल की अवधि से नि:शुल्क पात्रता घंटे प्राप्त कर सकते हैं, इसे वैश्विक नि:शुल्क पात्रता कहा जाता है। बच्चों को वर्ष भर में 570 तक नि:शुल्क पात्रता घंटे प्राप्त होंगे, सामान्य तौर पर उन्हें 38 हफ्तों तक प्रति सप्ताह 15 घंटे प्राप्त होंगे। 38 सप्ताहों को तीन अवधियों में विभाजित किया गया है, जो स्कूल की अवधियों के समान ही हैं।
- कई अभिभावक विस्तारित नि:शुल्क पात्रता (EFE) प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य 15 घंटे की अवधि के लिए हैं, इसे आमतौर पर "30 घंटे का ऑफ़र" कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि बच्चे 38 सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 30 घंटे प्राप्त कर सकें, इस प्रकार वर्ष में 1140 घंटों की नि:शुल्क पात्रता की सुविधा दी जाती है।
- 38 सप्ताह (या 570 घंटे) अप्रैल की शुरुआत में आरंभ होते हैं और अगले वर्ष मार्च के अंत में समाप्त होते हैं। अवधियाँ अप्रैल में गर्मियों के दौरान और सितंबर में शरद ऋतु के दौरान शुरू होती हैं और वसंत (जनवरी से मार्च) के अंत में समाप्त होती हैं।

2. अपने और अपने बच्चे के लिए सही चाइल्डकेयर चुनना

विभिन्न प्रकार के चाइल्डकेयर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया निम्न लिंक पर क्लिक करें Https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare जिसमें चाइल्डकेयर का चयन करने के दौरान ध्यान रखे जाने योग्य उपयोगी प्रश्नों की सूची शामिल है या कृपया निम्न पर जाएँ: चाइल्डकेयर प्रदाता खोजें: चाइल्डकेयर के प्रकार – एसेक्स काउंटी काउंसिल।

आप सभी शासकीय चाइल्डकेयर सपोर्ट और आवेदन के तरीके के संबंध में जानकारी चाइल्डकेयर चयन वेबसाइट पर पा सकते हैं। मुख्य ECC वेबसाइट परिवार जानकारी सेवा – एसेक्स काउंटी काउंसिल पर परिवार जानकारी सेवा (FIS) वेबपेज पर अभिभावकों के लिए भी जानकारी दी गई है।

सभी प्रारंभिक वर्षों के प्रदाताओं का कर्तव्य है कि वे विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं और अक्षमताओं वाले बच्चों (SEND) का समर्थन करें और वे आपको इस बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम हों कि वे यह कार्य किस प्रकार करेंगे। यदि आपको विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं और अक्षमताओं (SEND) वाले अपने बच्चे के लिए सही सुविधा की आवश्यकता है, तो आप early.years@essex.gov.uk पर ईमेल कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति आपको सहायता प्रदान करेगा।
सभी चाइल्डकेयर प्रदाता नि:शुल्क पात्रता का दावा कर सकते हैं, यदि वे:

- एक प्रारंभिक शिक्षा प्रदाता के रूप में ऑफस्टेड के साथ पंजीकृत हैं, या एक स्कूल नर्सरी हैं जिस स्थिति में उन्हें स्कूल के एक भाग के रूप में पंजीकृत किया जाएगा
- तीन और चार साल के बच्चों को नि:शुल्क पात्रता प्रदान करने के लिए ऑफस्टेड की ओर से अच्छा, उत्कृष्ट या सुधार की आवश्यकता वाला निर्णय प्राप्त हो
- दो वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क पात्रता प्रदान करने के लिए ऑफस्टेड की ओर से अच्छा या उत्कृष्ट वाला निर्णय प्राप्त हो
- एसेक्स काउंटी काउंसिल के साथ नि:शुल्क पात्रता के लिए वित्तीय सहायता संबंधी अनुबंध हो

यदि कोई चाइल्डमाइंडर किसी चाइल्डमाइंडर एजेंसी का हिस्सा है, तब भी वे नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि एजेंसी या चाइल्डमाइंडर का एसेक्स के साथ वित्तीय सहायता संबंधी अनुबंध हो।

नए पंजीकृत चाइल्डकेयर प्रदाता अपने पहले ऑफस्टेड निरीक्षण से पहले नि:शुल्क पात्रता प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यदि वे अपने पहले ऑफस्टेड निरीक्षण में अच्छा या उत्कृष्ट होने का निर्णय (जजमेंट) प्राप्त नहीं करते हैं, तो वे दो वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क पात्रता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे।

एसेक्स काउंटी काउंसिल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नि:शुल्क पात्रता घंटों का दावा करने वाले सभी चाइल्डकेयर:

- प्राथमिक स्तरीय शिक्षा (EYFS) का पूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करें
- नि:शुल्क पात्रता प्राप्त करने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखें और स्थानीय प्रशासन या ऑफस्टेड द्वारा मांगे जाने पर यह जानकारी उपलब्ध कराएं।

3. योग्यता

2 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क पात्रता संबंधी वित्तीय सहायता

एसेक्स में हजारों अभिभावक पहले से ही अपने 2 वर्ष के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर का उपयोग करते हैं। इससे ना केवल आपको अपने लिए समय मिलता है, बल्कि आपका बच्चा भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, सीखता है, और आनंद लेता है।

यदि आप कुछ निश्चित लाभों का दावा करते हैं या अतिरिक्त मानदंड पूरे करते हैं, तो शायद आप अपने दो वर्ष के बच्चे के लिए नि:शुल्क पात्रता प्राप्त करने में सक्षम हों।

अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://www.gov.uk/help-with-childcare-costs/free-childcare-2-year-olds

एसेक्स काउंटी काउंसिल शिक्षा विभाग की योग्यता जांच सेवा (ECS) का उपयोग यह जांचने के लिए करती है कि बच्चों की पात्रता के मानदंड उनके अभिभावकों को मिलने वाले लाभों (वैश्विक क्रेडिट सहित) के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

दो वर्ष के योग्य बच्चे, दो वर्ष की आयु पूरी करने के बाद स्कूल अवधि में अपनी नि:शुल्क पात्रता प्राप्त कर सकते हैं, नीचे देखें:

यदि उनका जन्मदिवस	के मध्य है तो उन्हें नि:शुल्क पात्रता प्राप्त होगी
1 अप्रैल – 31 अगस्त	1 सितंबर उनके 2रे जन्मदिवस के बाद
1 सितंबर - 31 दिसंबर	उनके दूसरे जन्मदिवस के बाद 1 जनवरी
1 जनवरी – 31 मार्च	उनके दूसरे जन्मदिवस के बाद 1 अप्रैल

यदि आप योग्य हैं और आप इस संबंध में किसी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले के एसेक्स बालक और परिवार कल्याण सेवा के फैमिली हब से संपर्क कर सकते हैं। अपने स्थानीय फैमिली हब के विवरण लिए के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें https://essexfamilywellbeing.co.uk/

2 वर्ष के बच्चे के लिए वित्तीय सहायता का पंजीकरण करने हेतु, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आपको निम्न की आवश्यकता होगी:

- आपकी राष्ट्रीय बीमा संख्या
- आपके द्वारा एसेक्स शिक्षा पोर्टल – लॉगॉन पर जाने और अपने ईमेल पते और पासवर्ड के साथ लॉग इन करने के लिए। यदि आप पहली बार पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं, तो कृपया पंजीकरण करें और निर्देशों का पालन करें

यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, तो आप निम्न से सहायता प्राप्त कर सकते हैं:

- फैमिली हब - इनसे संपर्क करने से संबंधित विवरण के लिए ऊपर देखें
- ईमेल करें Early.Years@essex.gov.uk
- अपने चाइल्डकेयर प्रदाता, स्वास्थ्य निरीक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता से बात करें।

जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे और योग्यता जांच पूर्ण हो जाएगी तब आपको एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी जिसे आप अपने चाइल्ड केयर प्रदाता के पास ले जाकर नि:शुल्क 15 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। अतिरिक्त मानदंड के कारण, पात्र होने पर आपको अपने प्रदाता को अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अपनी राष्ट्रीय बीमा संख्या और अन्य साक्ष्य दिखाना होंगे।

3 और 4 वर्षीय बच्चों के लिए नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता - वैश्विक 15 घंटे प्रति सप्ताह

3 और 4 वर्ष के सभी बच्चे अपने तीसरे जन्मदिवस के बाद से वैश्विक नि:शुल्क 15 घंटे प्रति सप्ताह (अवधि - समय) वित्तीय सहायता प्राप्त के लिए पात्र हैं, नीचे देखें:

यदि उनका जन्मदिवस	के मध्य है तो उन्हें नि:शुल्क पात्रता प्राप्त होगी
1 अप्रैल – 31 अगस्त	उनके तीसरे जन्मदिवस के बाद 1 सितंबर
1 सितंबर - 31 दिसंबर	उनके तीसरे जन्मदिवस के बाद 1 जनवरी

1 जनवरी – 31 मार्च	उनके तीसरे जन्मदिवस के बाद 1 अप्रैल

ये तिथियां शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता है।

यदि आपका बच्चा पहले से ही किसी चाइल्ड केयर प्रदाता के पास जा रहा है, तो वे नि:शुल्क पात्रता का दावा करने में सक्षम होंगे. इसलिए उनसे चर्चा करें कि किस प्रकार आपका बच्चा वित्तीय सहायता वाले पात्रता घंटे प्राप्त कर सकता है।

यदि आपका बच्चा किसी चाइल्ड केयर प्रदाता के पास नहीं जा रहा है तो आपको ऐसे प्रदाता को खोजना होगा जो नि:शुल्क पात्रता की सुविधा देता है और अपने बच्चे का पंजीकरण कराना होगा।

आप निम्न लिंक को क्लिक करके एसेक्स में किसी चाइल्डकेयर प्रदाता को खोज सकते हैं कोई चाइल्डकेयर प्रदाता खोजें (essex.gov.uk)

या आप निम्न पते पर ई-मेल भेजकर परिवार जानकारी सेवा से संपर्क कर सकते हैं fis@essex.gov.uk

या आप किसी फैमिली हब पर जा सकते हैं, आप निम्न लिंक पर अपने नजदीकी फैमिली हब की खोज कर सकते हैं एसेक्स बाल और परिवार कल्याण सेवा या आवंटित सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

तीन या चार वर्ष के बच्चे के लिए नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता – विस्तारित नि:शुल्क पात्रता (EFE)

कुछ बच्चे EFE के लिए पात्र होंगे। आप अपनी योग्यता की जांच करने के लिए ऑनलाइन चाइल्डकेयर कैल्कुलेटर - GOV.UK का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन पूरा करने में सक्षम होंगे। विस्तारित पात्रता के लिए लिए साइन अप करने से पहले, आपको सभी विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पैकेज चुना है। यह संभव है कि वर्किंग टैक्स क्रेडिट का चाइल्डकेयर तत्व प्रभावित हो क्योंकि आपको चाइल्डकेयर पर कम राशि का भुगतान करना होगा।

योग्य होने पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उस अवधि के आरंभ होने के EFE के लिए आवेदन कर देते हैं जिसके लिए आप वित्तीय सहायता प्रारंभ कराना चाहते हैं। **कृपया ध्यान दें**: यदि आप उस अवधि के आरंभ होने के बाद अपने कोड के लिए आवेदन करते हैं जिसके लिए आप वित्तीय सहायता प्रारंभ कराना चाहते हैं, तो आपका प्रदाता विस्तारित नि:शुल्क पात्रता का दावा करने में सक्षम नहीं होगा। आप केवल वैश्विक 15 घंटे की पात्रता को उक्त अवधि में प्राप्त कर सकेंगे।

जब आप आवेदन को समाप्त कर लेंगे और कोई खाता बना लेंगे तो आपको अपने चाइल्डकेयर प्रदाता को देने के लिए एक योग्यता कोड प्राप्त होगा, जिससे वे पूर्व के वर्षों के पोर्टल पर कोड की जांच करेंगे। यदि कोड सभी जांचों पर खरा उतरता है, तो आप अपने विस्तारित घंटे बुक कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।

प्रारंभिक वर्ष छात्र प्रीमियम (EYPP)

नि:शुल्क पात्रता प्राप्त करने वाले 3 और 4 वर्ष के बच्चे EYPP के लिए पात्र होंगे। EYPP चाइल्डकेयर प्रदाता को प्रतिवर्ष £302 तक की धनराशि प्रदान करता है, जिसका उपयोग है वे ऐसे संसाधन प्रदान करने के लिए कर सकते हैं जिससे आपके बच्चे को सहायता मिलेगी।

इसलिए वे इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता का दावा कर सकते हैं, आपका चाइल्डकेयर प्रदाता आपसे कोई फॉर्म भरने के लिए कह सकता है। ऐसा आप साइन अप करने के बाद पालक/अभिभावक अनुबंध फॉर्म भरने के

दौरान ही कर सकते हैं।

आपका चाइल्डकेयर प्रदाता आपसे इस बारे में बात करेगा कि आपके बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए कौन सी बातें अपेक्षित हैं। वे इस अतिरिक्त वित्तीय सहायता का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि उन्हें वह सहायता प्राप्त होती है जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

4. FEEE स्थानों की वित्तीय सहायता

वित्तीय सहायता का दावा करने के लिए चाइल्ड केयर प्रदाता प्रति अवधि निश्चित समय पर आपके बच्चे के विवरण को एक ऑनलाइन फॉर्म में प्रविष्ट करता है, इसे हेडकाउंट कहा जाता है। वे फॉर्म में अपने केयर के प्रत्येक बच्चे के लिए दावा किए जाने वाले घंटों की संख्या को जोड़ते हैं और इस जानकारी का उपयोग काउंसिल द्वारा उक्त अवधि के लिए चाइल्डकेयर प्रदाता को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।

किसी वित्तीय वर्ष में 38 सप्ताह के लिए 570 घंटे की नि:शुल्क पात्रता का दावा किया जा सकता है। कुछ प्रदाता वर्ष के 38 सप्ताहों से अधिक की समयावधि के लिए वित्तीय सहायता के उपयोग की अनुमति देते हैं, जो तब उपयोगी हो सकता है जब आपको पूरे वर्ष चाइल्डकेअर की आवश्यकता हो। यदि चाइल्डकेयर प्रदाता आपकी नि:शुल्क पात्रता को 38 सप्ताह से अधिक के समय के लिए विस्तारित करते हैं, तो वे प्रत्येक अवधि में अनुमति प्राप्त घंटों की पूर्ण संख्या का दावा करेंगे। यदि आप अपनी पूर्ण पात्रता को 50 सप्ताहों से अधिक की समय अवधि में प्राप्त कर रहे हैं तो आपका प्रदाता आपके अभिभावक अनुबंध फॉर्म में यह नोट करेगा कि वे प्रत्येक अवधि में अनुमति प्राप्त सप्ताहों के लिए प्रति सप्ताह 15 घंटों का दावा कर रहे हैं, इससे एक पूर्ण वर्ष में 570 घंटे तक जोड़े जा सकेंगे।

FEEE वित्तीय सहायता तब दी जाती है जब:

- हेडकाउंट के दिन आपके बच्चे का नाम हेडकाउंट फॉर्म पर दर्ज हो और वह चाइल्डकेयर प्रदाता के साथ पंजीकृत हो।
- या यदि आपका बच्चा हेडकाउंट में शामिल है लेकिन इस सप्ताह बीमार है या किसी दूसरे स्थान पर है, लेकिन ठीक होने पर चाइल्डकेयर प्रदाता के पास वापस आ जाएगा।

यदि आपका बच्चा हेडकाउंट दिनांक के बाद आरंभ करता है, तो वे संबद्ध अवधि के लिए उसके द्वारा किसी अन्य एसेक्स चाइल्ड केयर प्रदाता पर नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं किए जाने की स्थिति में उसके लिए विलंब का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभी चाइल्ड केयर प्रदाताओं को 2 वर्ष के बच्चों की वित्तीय सहायता के रूप में प्रति घंटा की नियमित दर से भुगतान किया जाता है और तीन और चार वर्षीय बच्चों की वित्तीय सहायता के रूप में प्रति घंटा की नियमित दर से भुगतान किया जाता है। दरों को प्रकाशित नहीं किया जाता है क्योंकि वितरण के बिंदु पर वित्तीय सहायता प्राप्त घंटे नि:शुल्क होने चाहिए और अभिभावकों को इसके लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना होता है।

प्रदाताओं को निचली बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए प्रति घंटा अतिरिक्त 10, 20 या 30 पेंस प्राप्त हो सकते हैं।

उन्हें 3 और 4 वर्ष के योग्य बच्चों के लिए EYPP भी प्राप्त हो सकती है, जो भुगतान की गई वैश्विक नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता के प्रति घंटे के लिए 53 पेंस प्रति घंटा की दर से दी जाने वाली अतिरिक्त राशि है।

यदि आपके बच्चे की अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं तो चाइल्ड केयर प्रदाता समावेशी वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकता है ताकि आपके बच्चे की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिल सके। अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए प्रदाता को किसी स्वास्थ्य या शिक्षा संबंधी पेशेवर जैसे स्वास्थ्य निरीक्षक या समावेशन भागीदार की सहायता लेनी होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें समावेशन अनुदान के लिए एसेक्स काउंटी काउंसिल में आवेदन करना चाहिए।

5. ध्यान दिए जाने योग्य बिंदु

नि:शुल्क पात्रता विभिन्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, एक दिन में उपयोग किए जा सकने वाले वित्त पोषित घंटों की अधिकतम संख्या 10 घंटे है। चाइल्डकेयर प्रदाता निम्न कार्य कर सकते हैं:

- नि:शुल्क पात्रता घंटे प्रदान करने वाले प्रत्येक दिन की अवधि निर्धारित करना, जैसे कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
- एक दिन में दावा किए जाने योग्य नि:शुल्क पात्रता घंटों की अधिकतम संख्या प्राप्त करना, जैसे 6 घंटे।
- कोई वित्तीय सहायता प्राप्त स्थान की पेशकश करना – ये स्थान सीमित हो सकते हैं. इसलिए उपलब्धता की जांच करना

यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न चाइल्डकेयर प्रदाताओं के पास भिन्न-भिन्न नि:शुल्क पात्रता प्रस्ताव होंगे, इसलिए आपको ऐसा स्थान खोजना होगा जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अधिकांश चाइल्डकेयर प्रदाता स्कूल अवधि के समय ही नि:शुल्क पात्रता प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा करना उनकी बाध्यता नहीं है, और कुछ इसे अतिरिक्त सप्ताहों तक भी प्रस्तुत करेंगे।

नि:शुल्क पात्रता घंटे, वैश्विक और विस्तारित दोनों पात्रताएं, दोपहर के भोजन के समय को सम्मिलित कर सकती हैं, जहां दोपहर के भोजन के समय का उपयोग बच्चों को नई चीजें सिखाने और नए कौशल विकसित करने में मदद के लिए किया जाता है।

जब नि:शुल्क पात्रता घंटों में दोपहर के भोजन के समय को शामिल किया जाता है, तो दोपहर के भोजन या नाश्ते के लिए शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन आपके बच्चे के द्वारा इसकी शुरुआत किए जाने से पहले भोजन के लिए वसूले जाने वाले शुल्क पर आपसे सहमति ली जानी चाहिए। यदि आप इस शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो चाइल्डकेयर प्रदाता द्वारा आपको पैक किए गए लंच को लाने का विकल्प दिया जाना चाहिए या आपको अपने बच्चे को दोपहर के भोजन के लिए घर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

चाइल्डकेयर प्रदाता केवल उन घंटों और सेवाओं के लिए शुल्क ले सकते हैं जो नि:शुल्क पात्रता का भाग नहीं हैं। यह देखने के लिए जांच करें कि क्या वित्तीय सहायता प्राप्त घंटों को प्राप्त करने के लिए आपको अतिरिक्त घंटों की आवश्यकता है। आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले समस्त शुल्कों का उल्लेख माता-पिता/अभिभावक अनुबंध पर स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए और आपके बच्चे द्वारा संस्था में शुरुआत किए जाने से पहले आपको इनसे सहमत होकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। चाइल्डकेयर प्रदाता द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित स्थान पर शर्तें लागू नहीं की जानी चाहिए, अर्थात् आपको अतिरिक्त घंटे खरीदना होंगे, दोपहर के भोजन के शुल्क का भुगतान करना होगा, पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा या यूनिफॉर्म प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

आप अपनी पसंद के चाइल्डकेयर प्रदाता से 38 सप्ताह से कम समय के लिए वित्तीय सहायता ले सकते हैं; उनके द्वारा कम से कम 33 सप्ताह की प्रस्तुति की जानी चाहिए।

यदि चाइल्डककेयर प्रदाता को कम सप्ताहों के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है तो वे आपके बच्चे को प्रति सप्ताह 15 घंटे या उससे कम समय मिलने की स्थिति में आपसे अतिरिक्त घंटों के लिए शुल्क नहीं ले सकते हैं।

यदि आप किसी ऐसे चाइल्डकेयर प्रदाता को चुनते हैं जो 38 सप्ताह से कम समय के लिए खुला होता है, तो आप शेष सप्ताहों का उपयोग कहीं और नहीं कर सकते हैं। यदि आपको सभी 38 सप्ताहों की आवश्यकता है, तो ऐसे चाइल्डकेयर प्रदाता को चयनित करना सबसे अच्छा होगा जो इसकी सुविधा देता है।

कुछ चाइल्डकेयर प्रदाता 'विस्तारित ऑफर' की सुविधा देते हैं, जहाँ छुट्टियों की अवधि को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि की जाती है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके द्वारा प्रति अवधि दावा किए जाने वाले अधिकतम घंटों की संख्या बदल नहीं सकती है। एक वर्ष में दावा किए जाने वाले घंटों की कुल संख्या 570 है। यदि आपका प्रदाता वर्ष के 50 सप्ताहों में वित्तीय सहायता प्रस्तुत करता है, तो आपको अधिक सप्ताहों में कम घंटे मिलेंगे, लेकिन जितने घंटे प्राप्त करने के आप अधिकारी हैं, वे यथावत् रहेंगे, अनुभाग 4 देखें - पात्रता को 50 सप्ताह से अधिक बढ़ाने का उदाहरण।

चाइल्डकेयर प्रदाता को आपके साथ एक माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फ़ॉर्म भरना होगा जिसमें आपके बच्चे को प्रत्येक अवधि के लिए मिलने वाली निःशुल्क पात्रता के घंटों और दिनों का उल्लेख हो। यह आपके बच्चे की उपस्थिति से अधिक घंटों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा पूरे 15 या 30 घंटों तक उपस्थित रहे, तो आपको सभी घंटों के लिए दावा करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आप हेडकाउंट डे के बाद घंटों को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो चाइल्डकेयर प्रदाता अतिरिक्त घंटों के लिए दावा नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि वे आपसे अवधि के अंत से पहले अतिरिक्त घंटों के लिए भुगतान करने के लिए कहेंगे। **यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सभी विवरणों से अवगत हों और फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले फॉर्म पर दी गई जानकारी को पढ़ लें। समस्त अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी प्राप्त करना सुनिश्चित करें, और जानें कि वे किस लिए हैं और अपने बच्चे के द्वारा संस्था में शुरुआत किए जाने से पहले आप उनसे सहमत होते हैं।**

जांचें कि चाइल्डकेयर प्रदाता प्रत्येक अवधि के लिए वित्त पोषित घंटों की गारंटी देगा और बच्चे की उम्र के आधार पर या विस्तारित घंटों की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यदि आप अपने बच्चे को अवधि के दौरान किसी अन्य प्रदाता के पास स्थानांतरित कर देते हैं, तो हेडकाउंट होने के बाद, आपका नया प्रदाता एसेक्स काउंटी काउंसिल से नि:शुल्क पात्रता वित्तीय सहायता का दावा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, आपको नए प्रदाता को शेष अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।

इन मामलों में, एसेक्स काउंटी काउंसिल मूल प्रदाता से इस अवधि के लिए अप्रयुक्त वित्तीय सहायता को नवीन प्रदाता को देने का आग्रह कर सकती है, लेकिन यह उनके संविदात्मक समझौते का हिस्सा नहीं है और हम इस बात पर बल देने में असमर्थ हैं कि वे वित्तीय सहायता को स्थानांतरित करें।

साथ ही, आपके मूल प्रदाता के पास एक नोटिस अवधि होगी और यदि आपने उन्हें आवश्यक नोटिस नहीं दिया कि आप अपने बच्चे का स्थानांतरण करा रहे हैं, तो आपसे शुल्क लिया जा सकता है, कृपया अपना निर्णय लेने से पहले इसे समझ लें।

आपके द्वारा प्राप्त समस्त बिलों में निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए कि:

- आपको अपने बच्चे का पूरे 15 या 30 घंटे का वित्तपोषित स्थान पूरी तरह से नि:शुल्क प्राप्त हुआ है, इन 15 या 30 घंटों के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त घंटे और सेवाओं के लिए आपसे शुल्क लिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, वित्त पोषित नि:शुल्क घंटों के अतिरिक्त भोजन या घंटे। आपके द्वारा स्थान ग्रहण करने से पहले प्रदाता को आपको

इन बिंदुओं के बारे में बताना होगा क्योंकि आप माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उनसे सहमत होंगे।

- समस्त अतिरिक्त घंटे और/या सेवाओं के शुल्क को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि:

- चाइल्डकेयर प्रदाता द्वारा निःशुल्क पात्रता के अलावा दिए जाने वाले अतिरिक्त घंटों के लिए ली जाने वाली दरें (शुल्क) आपके और उनके बीच एक निजी मामला है। स्थानीय प्राधिकरण प्रदाताओं के निजी व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
- यदि आपका बच्चा केवल नि:शुल्क पात्रता प्राप्त कर रहा है, तो आपको इनवॉइस (बिल) की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन प्रदाता को आपको बताना होगा कि उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया है और वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपने माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फॉर्म को पूर्ण किया है।

चाइल्डकेयर प्रदाता तीन और चार साल के बच्चों के लिए नि:शुल्क पात्रता स्थान आरक्षित करने के लिए जमा राशि ले सकते हैं, लेकिन पात्र दो साल के बच्चों के लिए नहीं। जमा की जाने वाली राशि एक सप्ताह के शुल्क के बराबर हो सकती है, जिसमें आप जितने घंटे लेना चाहें उनका समावेश किया जाता है। चाइल्डकेयर प्रदाता को आपके बच्चे के द्वारा संस्था में शुरुआत करने या अगले आधे टर्म ब्रेक (अवधि विराम) के बाद आपको जमा राशि वापस देनी होगी।

प्रदाता प्रत्येक अवधि में बच्चों की उपस्थिति के बिना भी संस्था के खुले होने के लिए नि:शुल्क पात्रता का दावा कर सकता है, ताकि वे स्टाफ को प्रशिक्षित कर सकें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आपको अपने माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रति अवधि एक दिन की निःशुल्क पात्रता उपलब्ध न होने की जानकारी देंगे। आपको सभी नियोजित बंद के बारे में 6 सप्ताह का नोटिस भी दिया जाना चाहिए।

यदि आपका बच्चा किसी बैंक अवकाश के दिन उपस्थित होता है, तो प्रदाता को आपको माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से पहले बताना होगा कि क्या वे बैंक अवकाश के दिन संस्था को बंद रखते हैं। वित्त पोषित सप्ताहों में बैंक अवकाश होने पर आपके बच्चे को उनकी पूरी पात्रता प्राप्त नहीं होगी।

अवधि के दौरान बच्चे के संस्था से कुछ समय के लिए दूर होने, आपके द्वारा छुट्टी लिए जाने या बच्चे के बीमार हो जाने की स्थिति में भी चाइल्डकेयर प्रदाता को वित्तीय सहायता प्राप्त होती रहेगी।

तीन और चार वर्ष के बच्चों की वित्तीय सहायता का उपयोग दो या दो से अधिक चाइल्डकेयर प्रदाताओं के साथ किया जा सकता है, बशर्ते कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। लेकिन आप एक दिन में केवल दो प्रदाताओं के पास जा सकते हैं। कुछ चाइल्डकेयर प्रदाताओं की एकमात्र प्रदाता नीति हो सकती है, जहाँ आपको अपनी समस्त पात्रता उनके साथ रखनी होगी और विभाजित वित्तीय सहायता की अनुमति नहीं होगी।

यदि आप वित्तीय सहायता का विभाजन कर रहे हैं, तो आपको इसका उल्लेख उस माता-पिता/अभिभावक अनुबंध फॉर्म में करना होगा, जिस पर आप प्रत्येक अवधि की शुरुआत में हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें प्रत्येक चाइल्डकेयर प्रदाता से आपके द्वारा लिए जाने वाले घंटों की संख्या शामिल होगी। आप उन दोनों के मध्य अपनी पात्रता से अधिक का दावा नहीं कर सकते।

चाइल्डकेयर प्रदाता हमें आपके बच्चे के उनके साथ रहने के घंटों का विवरण देता है और हम आवश्यकता से अधिक किए जाने वाले दावों को रोकने के लिए जाँच करेंगे। यदि वे आवश्यकता से अधिक दावा करते हैं, तो आपको निःशुल्क पात्रता के अंतर्गत नहीं आने वाले समस्त घंटों के लिए भुगतान करना होगा।

यदि आपके बच्चे को दो वर्ष के बच्चे की नि:शुल्क पात्रता प्राप्त हो रही है, तो वे किसी प्रारंभिक वर्ष प्रदाता पर केवल 2 वर्ष के बच्चे की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आप किसी स्कूल में चाइल्डकेयर प्रदाता और रिसेप्शन क्लास के मध्य वित्तीय सहायता को विभाजित नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बच्चा रिसेप्शन क्लास में जाता है तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए समस्त वित्तीय सहायता का भुगतान स्कूल के बजट में किया जाता है और चाइल्डकेयर प्रदाता इसका दावा नहीं कर पाएगा।

यदि आपका बच्चे की रिसेप्शन क्लास में शुरुआत की जाना अभ्‍ाी बाकी है, तो आप उसके द्वारा वास्तव में कक्षा में शुरुआत करने से पहले शरद ऋतु की अवधि के आरंभिक दिनों या हफ्तों के लिए किसी प्रकार के नि:शुल्क पात्रता घंटे प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

स्कूलों को यह कहने की अनुमति नहीं है कि यदि आप स्कूल में स्थान चाहते हैं तो आपको उनकी नर्सरी में प्रवेश लेना होगा। अगर आपसे ऐसा कहा जाता है, तो कृपया हमें इसकी जानकारी दें ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें।

यदि आपके चाइल्डकेयर प्रदाता को किसी अवधि के दौरान बंद करना पड़ता है और आपको कोई दूसरा प्रदाता खोजना पड़ता है, तो कृपया fis@essex.gov.uk पर ईमेल के माध्यम से परिवार सूचना सेवा से संपर्क करें। अन्य प्रदाता मिल जाने पर वे आपके बच्चे की शेष अवधि के लिए नि:शुल्क पात्रता के लिए विलंब दावा करने में सक्षम होंगे।

यदि आप अवधि के दौरान किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से एसेक्स में स्थानांतरित होते हैं, तो हम चाइल्डकेयर प्रदाता को ऐसे समस्त बच्चों के लिए दावा करने की अनुमति देंगे, जिसे पहले से ही एसेक्स में नि:शुल्क पात्रता प्राप्त नहीं हो रही है। वे उस अवधि की शेष पात्रता के लिए 'विलंब दावा' करने में सक्षम होंगे।